

रक्षा मंत्रालय

(संयुक्त सचिव एवम् मुप्रअ का कार्यालय)

**विषय: राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976- विषय पर
कार्यशाला - 16 अगस्त 2021**

1. रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 16 अगस्त 2021 को "राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
2. पात्रता- पात्रता शर्तें निम्नानुसार हैं:-
 - (i) सर्विस मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन के वरिष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादकों के अलावा ऐसे सभी अराजपत्रित कर्मचारी जो राजभाषा हिंदी के प्रकार्य/उत्तरदायित्वों को संभाल रहे हों उक्त कार्यशाला में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 - (iii) आवेदक कि आयु 58 वर्ष से कम होनी चाहिए।
3. इस कार्यशाला की समाप्ति पर प्रतिभागी निम्नलिखित कार्य/जानकारी प्राप्त कर सकेंगे
 - (1) राजभाषा नीति और संवैधानिक प्रावधान की जानकारी
 - (2) राजभाषा अधिनियम 1963 एवं राजभाषा नियम 1976 की सम्पूर्ण जानकारी
 - (3) हिंदी में टंकण कार्य करने के लिए विभिन्न हिंदी टूल्स का उपयोग करना
4. उक्त कार्यशाला में भाग लेने को इच्छुक कर्मचारी इस नोट के साथ परिशिष्ट 'ए' पर प्रस्तुत प्रोफोर्मा में आवेदन सिफारिश सहित रमुप्रसं में 06 अगस्त 2021 तक अवश्य भिजवा दें! अभ्यर्थियों का चयन पहले आओ और पहले प्रवेश पाओ आधार" पर किया जाएगा!

वैशाली दर्भ

(वैशाली दर्भ)

सहायक निदेशक, रमुप्रसं

30 जून 2021

स्टैंडर्ड सूची के अनुसार

रक्षा मंत्रालय, मुप्रअ और संयुक्त सचिव का कार्यालय, आईडी सं ए/26003/58/02/राजभाषा संवर्ग/मुप्रअ/प्रशिक्षण

प्रतिलिपि:-

मुप्रअ / ईडीपी सेल

कृ. वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

नोट संख्या A/26003/58/02/राभा/मप्रअ/प्रशि. दिनांक 30 जून 2021 का परिशिष्ट क

नामांकन प्रपत्र

राजभाषा नीति, अधिनियम और नियम पर कार्यशाला

(16 अगस्त 2021)

| | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | नाम | श्री/श्रीमती/कुमारी |
| 2. | कर्मचारी संख्या | |
| 3. | जन्म की तारीख और आयु | |
| 4. | नियुक्ति एवं वर्तमान पद पर तैनाती की तारीख | |
| 5. | शैक्षिक अर्हता | |
| 6. | वर्तमान कार्य की प्रकृति | |
| 7. | कार्यालय का पता(कमरा संख्या, ब्लॉक बिल्डिंग आदि का ब्योरा दें) | |
| 8. | कार्यालय का दूरभाष न० मोबाइल न० | |

(आवेदक का हस्ताक्षर)

सिफारिश:

उपरोक्त अधिकारी की कार्यशाला में भाग लेने के लिए सिफारिश की जाती है। अगर उक्त अधिकारी का इस कार्यशाला में चयन हो जाता है तो उन्हें किन्हीं भी कारणों से इस कार्यशाला में प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा।

(नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

कार्यालय :

दूरभाष न० :

दिनांक :